रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-1097/2026/502/22-2-2026-17(190)/2026

लखनऊ: दिनांक: 20 अगस्त, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, आजमगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हंसराज यादव (बन्दी सं0-34/2025) पुत्र श्री महावीर यादव, जो जगदीशपुर, थाना-फूलपुर, जनपद- आजमगढ़ का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-344/1987, भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-01, आजमगढ़ के दण्डादेश दिनांक 09.09.1991 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18.12.2019 द्वारा धारा-302 को, धारा-304-2 में परिवर्तित करते हुए 05 वर्ष के कारावास में दण्डित किया गया। मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 02.01.2025 द्वारा 05 वर्ष की सजा को लघुकृत करते हुए 02 वर्ष के कारावास में परिवर्तित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 22.12.2025 तक अपरिहार 00 वर्ष, 11 माह, 19 दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष, 00 माह, 16 दिन की सजा भोगी जाने, संतोषजनक जेल आचरण होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

उक्त आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जा रहा है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1097/2026/502(1)/22-2-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, आजमगढ़।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।